में स्थगित है। अतः इसाका अक्षर
पत्रावली आइन्दा 11/7/22 को पेश हो।

11/07/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने निवेदन किया कि वे अब और साक्ष्य कराना नहीं चाहते हैं वादीगण का साक्ष्य का अवसर बन्द किया जाता है। वकील वादीगण के बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, साक्ष्य व जवाब आदि समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

संक्षेप में वादी का वाद इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. का. अ. एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं० ... गोलिया जैतमाल के

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:16:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील ... जारी हुए

राजस्व ग्राम कलासर में खेत ख.नं. 289/1
रकबा 0.6394 है० एवं ख.नं. 290/2 रकबा
3.2213 है० की अवस्थित है। उक्त भूमि
प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत में प्राप्त हुई
है। वादी व प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 01
के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 प्रतिवादी
संख्या 01 की पुत्रियां हैं। वादी व प्रतिवादी
सं. 2 ता 5 प्रतिवादी सं. 01 की विधिक
सन्तान व विधिक वारिसान होने से उक्त
मुताबिक बराबरी में जन्म से ही हक विहित
हो चुके हैं तथा वादी बंटवारा के हक
में ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। भूमि
वर्तमान में भूमि प्रतिवादी सं. 01 के नाम
खातेदारी में दर्ज है इसलिए वादी व
प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को भी प्रतिवादी सं.
01 के साथ सहखातेदार घोषित किया
जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर
कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब
किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रशासन गांवों
के संग अभियान-2021 कार्यालय शिविर
दिनांक 03/01/22 ग्राम पंचायत मुख्यालय
गोलिया कैलनाल में उपस्थित होकर
मजमून वादी का ... स्वीकार
कर वादी व ... प्रतिवादी
सं. 01 के साथ सहखातेदार घोषित किये
जाने की सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या
3 ता 4 ... मुख्तार
के शपथ पत्र पेश कर सहमति दिये की भूमि

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:16:38 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खातेदारी ... घोषित करने का लिखित व मौखिक कथन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी की मौरूसी कृषि है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 2 ता 5 के प्रतिवादी नं. 01 के साथ ... हक निहित है। वादी के कथन तथा प्रतिवादीगण की सहमति अनुसार वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का कब्जा काश्त भी विवादित आराजी पर होने की पुष्टि होती है।
	अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी कस्बा मौजा कलाकर के खाता खसरा नं. 289/1 रकबा – 0.6394 हे० तथा ख.नं. 290/2 रकबा 3.2213 हे० की बाबत वादी व प्रतिवादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 01 के साथ खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पत्र जारी हो। पत्रावली मिसल तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय ... आज दिनांक 11/02/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(मुकेश कुमार) सहायक कलक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:16:38 IST
Reason: SelfAttested